दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

<u>सि.वा.(वाणि.) 686/2023, अं.आ.सं. 7655/2024, अं.आ.सं. 7656/2024, अं.आ.सं. 32131/2024 एवं अं.आ.सं. 32934/2024</u>

<u>CS(COMM) 686/2023, I.A. 7655/2024, I.A. 7656/2024, I.A. 32131/2024 & I.A. 32934/2024</u>

नीरज सरन श्रीवास्तव और अन्य ......वादीगण

द्वारा - श्री राज शेखर राव, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अच्युतन श्रीकुमार, श्री रोहिल बंसल एवं श्री स्वास्तिक बिसारिया, अधिवक्तागण
मो: 9079965359

बनाम

लाउडन ओवेन और अन्य ....प्रतिवादीगण

द्वारा - श्री तुषार सिंह, अधिवक्ता (वी.सी. के माध्यम से) प्रतिवादी संख्या-1 के लिए
मो.: 9811634530
डॉ. अभिमन्यु चोपड़ा, श्री वरुण लांबा, श्री अमन चौधरी एवं श्री कुषाग्र जैन, अधिवक्तागण, प्रतिवादी संख्या-2 के लिए
मो.: 9891434361
श्री फैज़ल हसन, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या-3 के लिए
मो.: 8273309452

ईमेल:
faisalhasan2486@gmail.com

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मिनी पुष्करणा

निर्णय

20.01.2025

न्या. मिनी पुष्करणा:

अं.आ.सं. 7655/2024, अं.आ.सं. 7656/2024, अं.आ.सं. 32131/2024 एवं अं.आ.सं. 32934/2024

1. वर्तमान वाद में अं.आ.सं. 7655/2024 तथा अं.आ.सं. 7656/2024 वादीगण की ओर से दायर की गई हैं, जिनमें प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल लिखित बयानों के प्रत्युत्तर फाइल करने में 1 (एक) दिन की विलंब को क्षमा करने तथा उन्हें अभिलेख पर लेने का निवेदन किया गया है।

2. दूसरी ओर, अं.आ.सं. 32131/2024 तथा अं.आ.सं. 32934/2024 प्रतिवादीगण की ओर से दायर की गई हैं, जिनमें वादीगण की ओर से दाखिल किए गए प्रत्युत्तरों को अभिलेख से हटाने का निवेदन किया गया है।

3. उपर्युक्त आवेदनों में पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किया गया मामला इस प्रकार है:

3.1 इस न्यायालय ने दिनांक 06 अक्टूबर 2023 के आदेश द्वारा प्रतिवादीगण को समन जारी किए। तत्पश्चात्, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने अपने लिखित बयान दिनांक 30 जनवरी 2024 को फाइल किए, अर्थात् 30 (तीस) दिनों की समयसीमा से 88 (अठासी) दिन के विलंब के साथ।

3.2 प्रतिवादीगण ने अं.आ.सं. 3525/2024 तथा अं.आ.सं. 3526/2024 फाइल कर लिखित बयान फाइल करने में 88 दिनों के विलंब को क्षमा करने का निवेदन किया। उक्त आवेदन दिनांक 14 फरवरी 2024 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हुए। दिनांक 14 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा लिखित बयान फाइल करने में विलंब को लागत लगाने की शर्त पर क्षमा किया गया। उक्त आदेश में यह भी दर्ज किया गया कि लिखित बयान अभिलेख का हिस्सा होंगे, बशर्ते लागत का भुगतान किया जाए, और प्रत्युत्तर फाइल करने की सीमा-निर्धारण लागत के भुगतान की तिथि से प्रारंभ होगी।

3.3 चूँकि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के अधिवक्तागण द्वारा लागत का भुगतान दिनांक 14 फरवरी 2024 को ही कर दिया गया था, अतः दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के अनुसार प्रत्युत्तर फाइल करने की 30-दिन की अवधि 14 मार्च 2024 को समाप्त होनी थी। तथापि, वादीगण के अधिकृत प्रतिनिधि एवं हस्ताक्षरकर्ता के व्यक्तिगत कारणवश प्रत्युत्तर दिनांक 15 मार्च 2024 को फाइल किए गए, जिससे 1 (एक) दिन का विलंब हुआ।

3.4 तत्पश्चात्, दिनांक 19 मार्च 2024 को रजिस्ट्री द्वारा कुछ दोष सूचित किए गए जिन्हें उसी दिन दूर कर दिया गया और प्रत्युत्तर, स्वीकृति एवं अस्वीकृति के शपथपत्र सहित, उसी डायरी संख्या के अंतर्गत पुनः फाइल किए गए।

3.5 तत्पश्चात्, दिनांक 21 मार्च 2024 को यह कहते हुए कि प्रत्युत्तर नियत समय के बाद फाइल किए गए हैं, रजिस्ट्री द्वारा पुनः दोष अंकित किए गए।

3.6 प्रत्युत्तर नियत समय के बाद फाइल किए जाने का उपर्युक्त दोष दिनांक 27 मार्च 2024 को ई-मेल के माध्यम से वादीगण के अधिवक्ता को सूचित किया गया।

3.7 इस प्रकार, अं.आ.सं. 7655/2024 तथा अं.आ.सं. 7656/2024 वादीगण द्वारा फाइल की गईं, जिनमें प्रत्युत्तर फाइल करने में 1 दिन के विलंब को क्षमा करने का निवेदन किया गया है।

3.8 अं.आ.सं. 32131/2024 तथा अं.आ.सं. 32934/2024 प्रतिवादीगण द्वारा फाइल की गई हैं, जिनमें यह आधार लिया गया है कि विलंब क्षमा करने के आवेदन दोष अंकित होने के 7 (सात) दिनों के भीतर, अर्थात् 28 मार्च 2024 तक फाइल किए जाने चाहिए थे, और इस आधार पर प्रत्युत्तरों को अभिलेख से हटाने का निवेदन किया गया है।

4. वादीगण की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गईं :

4.1 प्रत्युत्तर नियत समय के बाद फाइल किए जाने का दोष दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा वादीगण के अधिवक्ता को पहली बार केवल दिनांक 27 मार्च 2024 को सूचित किया गया।

4.2 प्रत्युत्तर नियत समय के बाद फाइल करने में विलंब क्षमा करने हेतु आवेदन फाइल न करने की चुनौती असंधार्य है क्योंकि यह मात्र एक प्रक्रियात्मक दोष है जिसे ऐसे दोष की सूचना मिलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर दूर किया जा सकता है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के अध्याय IV नियम 3 के अनुरूप है।

4.3 प्रत्युत्तर का अंतिम संस्करण दिनांक 19 मार्च 2024 को फाइल किया गया था, अर्थात् प्रत्युत्तर फाइल करने की 45 दिनों की अधिकतम समयसीमा के भीतर और विलंब क्षमा करने का आवेदन दिनांक 02 अप्रैल 2024 को फाइल किया गया था, अर्थात् दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के अध्याय IV नियम 3 के अंतर्गत उपलब्ध 30 दिनों की समग्र अवधि में दोष की सूचना मिलने की तिथि से 7 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर।

4.4 प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 ने क्रमशः अं.आ.सं. 32131/2024 एवं अं.आ.सं. 32934/2024 फाइल की हैं, जिनमें वादीगण द्वारा फाइल प्रत्युत्तरों को अभिलेख से हटाने का निवेदन किया गया है, जबकि वे 45 दिनों की अधिकतम समयसीमा के भीतर फाइल किए गए थे।

4.5 प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 ने अपने आवेदनों में स्वीकार किया है कि प्रत्युत्तरों का अंतिम संस्करण, स्वीकृति एवं अस्वीकृति के शपथपत्र सहित, दिनांक 19 मार्च 2024 को फाइल किया गया था, अर्थात् 45 दिनों की अधिकतम समयसीमा के भीतर।

4.6 जब तक प्रत्युत्तर 45 दिनों की अधिकतम समयसीमा के भीतर फाइल किया गया है और तत्पश्चात् रजिस्ट्री द्वारा सूचित दोष 30 दिनों की समग्र अवधि में दूर कर दिए गए हैं, तब तक उन्हें अभिलेख पर लिया जाना चाहिए।

4.7 प्रतिवादी संख्या 1 और 2, जिन्होंने स्वयं अपने लिखित बयान 86 दिनों की स्वीकृत देरी से फाइल किए हैं, को न तो विधि में और न ही न्यायसंगत दृष्टिकोण से कोई अधिकार है कि वे वादीगण पर आरोप लगाएँ और उनके प्रत्युत्तरों को चुनौती दें, जो मात्र 4 दिनों (यदि नहीं तो 1 दिन) के विलंब से फाइल किए गए हैं।

4.8 बड़ी संख्या में दस्तावेज़ों का अध्ययन, संकलन एवं फाइल करना आवश्यक था, जिसमें कुछ समय लगा। इसके अतिरिक्त, वादीगण के अधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत मुश्किल में थे, जिसके कारण हस्ताक्षर एवं नोटरीकरण की औपचारिकताओं में विलंब हुआ। अतः वादीगण द्वारा प्रत्युत्तर फाइल करने में हुए इस मामूली विलंब के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि विस्तृत निवेदन-पत्रों का परीक्षण कर प्रत्युत्तर तैयार करना आवश्यक था।

5. प्रतिवादीगण की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गईं :

5.1 वादीगण द्वारा दिनांक 15 मार्च 2024 को फाइल किए गए प्रत्युत्तर विधिवत निष्पादित और/या विधिवत सत्यापित एवं नोटरीकृत नहीं थे। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश VI नियम 14 एवं 15 के प्रावधान महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे यह अनिवार्य करते हैं कि निवेदन-पत्रों पर पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर एवं पुष्टि की जानी चाहिए, तभी उन्हें न्यायालय में फाइल किया जा सकता है। अतः उक्त प्रत्युत्तर, विधिवत निष्पादित एवं सत्यापित शपथपत्र तथा सत्य कथन के बिना, *अमान्य* माने जाने चाहिए।

5.2 प्रत्युत्तर फाइल करने की समयसीमा अर्थात् 45 दिन, जो दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 द्वारा प्रदत्त एवं निर्धारित है, बहुत महत्वपूर्ण है और उसका कठोरता से अनुपालन किया जाना चाहिए।

5.3 प्रत्युत्तरों के साथ विलंब क्षमा करने के आवेदन अनिवार्य रूप से फाइल किए जाने चाहिए थे। उक्त आवेदन दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 में निर्धारित समयसीमा के भीतर फाइल नहीं किए गए, बल्कि 45 दिनों की अधिकतम समयसीमा के बाद फाइल किए गए। अतः वादीगण द्वारा फाइल प्रत्युत्तर अभिलेख पर नहीं लिए जाने चाहिए।

5.4 दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के अध्याय IV नियम 3 के अनुसार, कोई भी दोष फाइल करने की तिथि से 7 दिनों के भीतर

दूर किया जाना चाहिए। अतः उक्त नियमों के अनुरूप विलंब क्षमा करने का आवेदन दोष अंकित होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर, अर्थात् 28 मार्च 2024 तक फाइल किया जाना चाहिए था।

5.5 वादीगण द्वारा फाइल किए गए विलंब क्षमा करने के आवेदन प्रत्युत्तर फाइल करने की 45 दिनों की अधिकतम समयसीमा के बाद फाइल किए गए हैं। अतः विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, वादीगण की ओर से फाइल प्रत्युत्तर अभिलेख से हटाए जाने योग्य हैं।

5.6 तिवादीगण ने निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी है: *टलांटेक ऑनलाइन सर्विसेज प्रा. लि. एवं अन्य बनाम गूगल इंडिया प्रा. लि. एवं अन्य*, 2023 SCC OnLine Del 5476; *फ्रेंड्स मोटेल प्रा. लि. अपने निदेशक श्री अरुण द्विवेदी के माध्यम से बनाम श्रीवेद कंसल्टेंसी एलएलपी एवं अन्य*, 2020 SCC OnLine Del 2072; *विदि इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग कंपनी बनाम सी एंड एस इलेक्ट्रिक लि. एवं अन्य*, 2022 SCC OnLine Del 1429; तथा *राम सरूप लुगानी एवं अन्य बनाम निर्मल लुगानी एवं अन्य*, 2020 SCC OnLine Del 1353।

6. मैंने पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि वादीगण द्वारा फाइल प्रत्युत्तरों को उनके प्रार्थना के अनुसार अभिलेख पर लिया जा सकता है या वे प्रतिवादीगण के प्रार्थना के अनुसार अभिलेख से हटाए जाने योग्य हैं।

8. अभिलेख का अवलोकन दर्शाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 द्वारा फाइल लिखित बयान, जो 88 दिनों के विलंब से फाइल किए गए थे, उन्हें दिनांक 14 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा लागत की शर्त पर क्षमा किया गया और अभिलेख पर लेने का निर्देश दिया गया। उक्त आदेश में यह भी दर्ज किया गया कि प्रत्युत्तर फाइल करने की सीमा-निर्धारण लागत के भुगतान की तिथि से प्रारंभ होगी।

9. चूँकि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा लागत का भुगतान दिनांक 14 फरवरी 2024 को ही कर दिया गया था, अतः दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के अनुसार प्रत्युत्तर फाइल करने की 30-दिन की अवधि 14 मार्च 2024 को समाप्त होनी थी।

10. तथापि, प्रत्युत्तर वास्तव में दिनांक 15 मार्च 2024 को फाइल किए गए। दिनांक 19 मार्च 2024 को रजिस्ट्री द्वारा कुछ दोष सूचित किए गए जिन्हें वादीगण ने उसी दिन दूर कर दिया और प्रत्युत्तर स्वीकृति/अस्वीकृति सहित पुनः फाइल किए गए। तत्पश्चात्, दिनांक 21 मार्च 2024 को रजिस्ट्री द्वारा पुनः दोष अंकित किए गए कि प्रत्युत्तर नियत समय के बाद फाइल किए गए

हैं। उक्त दोष दिनांक 27 मार्च 2024 को ई-मेल द्वारा वादीगण को सूचित किए गए।

11. इसके बाद, वादीगण द्वारा दिनांक 02 अप्रैल 2024 को अं.आ.सं. 7655/2024 एवं अं.आ.सं. 7656/2024 फाइल की गईं, जिनमें प्रत्युत्तर फाइल करने में 1 दिन के विलंब को क्षमा करने का निवेदन किया गया।

12. इसके विपरीत, प्रतिवादीगण द्वारा अं.आ.सं. 32131/2024 एवं अं.आ.सं. 32934/2024 फाइल की गईं, जिनमें वादीगण द्वारा फाइल प्रत्युत्तरों को अभिलेख से हटाने का निवेदन किया गया।

13. वादीगण द्वारा प्रत्युत्तर फाइल करने की अवधि दिनांक 14 फरवरी 2024 से गिनी जाए तो, दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के अध्याय VII नियम 5 के अनुसार, 30 दिनों की अवधि 14 मार्च 2024 तक और 45 दिनों की अवधि 29 मार्च 2024 तक थी।

14. यह निर्विवाद है कि वादीगण द्वारा प्रत्युत्तर पहले दिनांक 15 मार्च 2024 को फाइल किए गए और तत्पश्चात् आपत्तियाँ दूर करने के बाद दिनांक 19 मार्च 2024 को पुनः फाइल किए गए। रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 21 मार्च 2024 को जो एकमात्र आपत्ति अंकित की गई और दिनांक 27 मार्च 2024 को वादीगण को सूचित की गई, वह प्रत्युत्तर नियत समय के बाद फाइल किए जाने की थी। अभिलेखों एवं तथ्यों के अनुसार, वादीगण द्वारा प्रत्युत्तर फाइल करने

में विलंब क्षमा करने के आवेदन दिनांक 02 अप्रैल 2024 को फाइल किए गए, अर्थात् रजिस्ट्री द्वारा ई-मेल के माध्यम से दोष की सूचना दिए जाने की तिथि से 7 दिनों के भीतर। अतः यह स्पष्ट है कि प्रत्युत्तर फाइल करने में विलंब की आपत्ति दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के अध्याय IV नियम 3 के अनुपालन में दूर कर दी गई।

15. प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 द्वारा उठाई गई यह आपत्ति कि प्रत्युत्तर अभिलेख पर नहीं लिए जा सकते क्योंकि प्रत्युत्तर फाइल करने में विलंब क्षमा करने के आवेदन 45 दिनों की अधिकतम समयसीमा के बाद फाइल किए गए हैं, स्वीकार्य नहीं है। यह स्पष्ट है कि प्रत्युत्तर विधिक रूप से निर्धारित 45 दिनों की अवधि के भीतर फाइल किए गए थे और विलंब क्षमा करने के आवेदन भी इस संबंध में आपत्ति की सूचना मिलने के 7 दिनों के भीतर फाइल किए गए थे। रजिस्ट्री द्वारा दोष निर्दिष्ट किए जाने पर उन्हें दूर करने के संबंध में, दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के अध्याय IV नियम 3 का प्रावधान इस प्रकार है:

> *“**3. दोषयुक्त अभिवचन/दस्तावेज़.–** (क) परीक्षण के उपरांत यदि कोई अभिवचन/दस्तावेज़ दोषयुक्त पाया जाता है, तो फाइलिंग काउंटर के प्रभारी उप-पंजीयक/सहायक पंजीयक आपत्ति निर्दिष्ट करेंगे, जिसकी एक प्रति न्यायालय अभिलेख पर रखी जाएगी, और दोषों को दूर करने तथा पुनः फाइल करने हेतु अधिकतम 7 दिन की अवधि एक बार में तथा कुल मिलाकर 30 दिन की अवधि प्रदान की जाएगी। प्रत्येक पुनः दाखिले पर कैविएट की जाँच की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पक्षकार को संशोधित प्रति उन कैविएटरों को पुनः देनी होगी जिनकी कैविएट पहली फाइलिंग के समय वैध थी।*

(ख) यदि अभिवचन/दस्तावेज़ उप-नियम (क) में प्रदत्त 30 दिनों की अवधि में दोष दूर करने हेतु वापस नहीं लिया जाता है, तो उसे न्यायालय के समक्ष उपयुक्त आदेश हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा। उपरोक्त (क) एवं (ख) के प्रयोजन हेतु 30 दिनों की अवधि उस तिथि से प्रारंभ होगी जब रजिस्ट्री द्वारा फाइल अभिवचन/दस्तावेज़ पर आपत्तियाँ अंकित की जाती हैं।

(ग) यदि अभिवचन/दस्तावेज़ उप-नियम (क) में प्रदत्त समयसीमा से परे फाइल किए जाते हैं, तो उनके साथ पुनः फाइलिंग में विलंब क्षमा करने का आवेदन संलग्न होना आवश्यक होगा।"

16. उपर्युक्त प्रावधानों का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यदि रजिस्ट्री द्वारा परीक्षण के उपरांत कोई निवेदन या दस्तावेज़ दोषयुक्त पाया जाता है, तो आपत्तियों को दूर कर पुनः फाइल अधिकतम 7 दिनों की अवधि में, और कुल मिलाकर 30 दिनों की अवधि में किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में वादीगण द्वारा प्रत्युत्तर फाइल करने में विलंब क्षमा करने के आवेदन फाइल करने की समयसीमा का विधिवत अनुपालन किया गया है, क्योंकि उक्त आवेदन रजिस्ट्री द्वारा विलंब की आपत्ति सूचित किए जाने के 7 दिनों के भीतर फाइल किए गए थे।

17. जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, प्रत्युत्तर स्वयं 45 दिनों की अधिकतम समयसीमा के भीतर फाइल किए गए थे। मात्र विलंब क्षमा करने का आवेदन फाइल न करना किसी दाखिले को *अमान्य* नहीं बनाता। यह एक प्रक्रियात्मक दोष है और दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के अध्याय IV के प्रावधानों के अनुसार दूर किया जा सकता है।

18. एक बिलकुल समान मामले में, जहाँ लिखित बयान समन मिलने के 34वें दिन पर फाइल किया गया था, किन्तु विलंब क्षमा करने का आवेदन 120 दिनों के बाद फाइल किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने ***ए.पी. डिस्ट्रीब्यूटर्स और अन्यॉ बनाम ओ.के. प्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड***[1] मामले में यह निर्देश दिया कि लिखित बयान अभिलेख पर लिया जाए।

> *"अनुमति प्रदान की जाती है।*
>
> *पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुनने के बाद तथा **मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और यह देखते हुए कि लिखित बयान समन की सेवा के 34वें दिन फाइल किया गया था, किन्तु विलंब क्षमा करने का आवेदन 120 दिनों की अवधि के बाद फाइल किया गया था, उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते समय अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अपीलकर्ताओं/प्रतिवादीगण की ओर से फाइल लिखित बयान को स्वीकार करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा वाद न्यायालय के आदेश को निरस्त करना उचित नहीं था।***
>
> *उपर्युक्त तथ्यों एवं कारणों के आलोक में, वर्तमान अपीलें सफल होती हैं। **उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश निरस्त किए जाते हैं और वाद न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसमें लिखित बयान को अभिलेख पर लेने हेतु विलंब क्षमा किया गया था, पुनः बहाल किया जाता है।***
>
> *वर्तमान अपीलें तदनुसार स्वीकार की जाती हैं। कोई लागत नहीं।"*

19. इसी प्रकार, इस न्यायालय की खंडपीठ ने ***सनेह कुमार मित्तल एवं अन्य बनाम साधना गुप्ता***[2] मामले में यह निर्देश दिया कि यद्यपि विलंब क्षमा करने का आवेदन 120 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद ही फाइल किया

---

[1] 2022 SCC OnLine SC 1512
[2] 2024 SCC OnLine Del 7025

गया था, जो लिखित बयान फाइल करने की अधिकतम समयसीमा है, तथापि लिखित बयान विधिक अवधि के भीतर फाइल किया गया था, अतः उसे अभिलेख पर लिया जाए। इस प्रकार यह निर्णय दिया गया:

> *"xxx xxx xxx*
>
> *8. अपीलकर्ताओं के अनुसार लिखित बयान फाइल करने की प्रासंगिक तिथियों का क्रम इस प्रकार है:–*

तिथि	***कार्यक्रम***
01.03.2018	*दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 प्रभाव में आई।*
30.07.2018	***सि.वा.(मूल) 369/2018*** *में सभी प्रतिवादीगण को समन जारी किए जाते हैं, जो 24 सितम्बर 2018 को प्रत्यावर्तनीय (returnable) हैं।*
19.08.2018	*यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता संख्या 2 को समन तामील किए गए, तथापि अपीलकर्ता संख्या 5 एवं 6 को इस मामले में कभी भी समन की तामील नहीं की गई।*
01.11.2018	*स्वीकृति एवं अस्वीकृति के शपथपत्र फाइल करने का प्रारूप, दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 में दिनांक 16 अक्टूबर 2018 को किए गए संशोधन द्वारा प्रभाव में आया।*
04.12.2018	***यह कहा गया है कि अपीलकर्ता संख्या 2, 5 एवं 6 ने अपना संयुक्त लिखित बयान फाइल किया है, तथापि उक्त लिखित बयान आपत्तियों के अधीन था।***
07.12.2018-	*अपीलकर्ता संख्या 2, 5 एवं 6 को माननीय संयुक्त रजिस्ट्री द्वारा निर्देशित किया गया कि वे आपत्तियों को दूर करें और संयुक्त लिखित बयान को अभिलेख पर लाएँ।*
17.12.2018	***दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के अध्याय VII नियम 4 के अंतर्गत लिखित बयान फाइल करने की 120 दिनों की अवधि, अपीलकर्ता संख्या 2, 5 एवं 6 के संबंध में समाप्त हो चुकी बताई जाती है।***

16.02.2019	***<u>अपीलकर्ता संख्या 2, 5 एवं 6 की ओर से संयुक्त लिखित बयान फाइल करने में विलंब क्षमा करने का आवेदन फाइल किया गया बताया जाता है।</u>***
26.02.2019	*अपीलकर्ता संख्या 2, 5 एवं 6 ने अपना लिखित बयान पुनः फाइल किया, जिसे स्वीकृति/अस्वीकृति के शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया।*

xxx xxx xxx"

26. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह तथ्य विवादित नहीं है कि ***<u>संबंधित अपीलकर्ताओं द्वारा लिखित बयान प्रारंभिक रूप से 4 दिसम्बर 2018 को फाइल किया गया था, जो 120 दिनों की सीमा अवधि के भीतर था। तत्पश्चात् इसे विलंब क्षमा करने के आवेदन तथा स्वीकृति/अस्वीकृति शपथपत्र के साथ फाइल किया गया। स्वीकृति/अस्वीकृति शपथपत्र फाइल करने में जो विलंब हुआ, वह पुनः फाइलिंग (re-filing) में हुआ विलंब है, जिसे क्षमा किया जाता है।</u>***

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

20. इसी प्रकार, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने यह निर्णय करते हुए कि क्या लिखित बयान अभिलेख पर लिया जा सकता है, जब वह 120 दिनों की अधिकतम समयसीमा के भीतर फाइल किया गया हो, किन्तु प्रवेश एवं अस्वीकार का शपथपत्र संलग्न न हो और उक्त दोष केवल 120 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद दूर किया गया हो, यह माना कि दोषों की निवारण को समग्र 30 दिनों की अवधि में देखा जाना चाहिए, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के अध्याय IV के नियम 3 के

अंतर्गत अनुमेय है। अतः ***कोसको (इंडिया) लिमिटेड बनाम परामसुख निर्माण प्रा.लि***[3]. मामले में यह निर्णय दिया गया :

"xxx xxx xxx

10. तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के अध्याय VII नियम 3 के अंतर्गत, एक बार लिखित बयान फाइल हो जाने पर, यदि उसके साथ स्वीकृति/अस्वीकृति शपथपत्र संलग्न न हो, तो उसे अभिलेख पर नहीं लिया जाएगा। यदि लिखित बयान के साथ स्वीकृति/अस्वीकृति का शपथपत्र संलग्न नहीं है, तो यह लिखित बयान का दोष माना जाएगा। दोषों की पुनः फाइलिंग एवं निवारण हेतु पक्षकारों को कुल 30 दिनों की अवधि उपलब्ध है। अध्याय 1 नियम 14 का प्रयोग नियमों के अनिवार्य प्रावधानों से छूट देने के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल उन नियमों के लिए किया जा सकता है जहाँ यह मात्र पद्धति एवं प्रक्रिया का प्रश्न है। ***पुनः फाइलिंग से सात दिनों का समय, जो कुल 30 दिनों की अवधि में आता है, वर्तमान मामले में पद्धति एवं प्रक्रिया का विषय माना जाएगा, क्योंकि 'लिखित बयान फाइल करना' स्वीकृति/अस्वीकृति के शपथपत्र के साथ और 'उसे अभिलेख पर लाना' के बीच मौलिक अंतर है। यदि लिखित बयान के साथ स्वीकृति/अस्वीकृति का शपथपत्र संलग्न नहीं है, तथापि रजिस्ट्री द्वारा उक्त दोष इंगित किए जाने पर उसे 30 दिनों के भीतर दूर किया जा सकता है। यदि उक्त दोष दूर कर दिया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि लिखित बयान एवं स्वीकृति/अस्वीकृति का शपथपत्र अभिलेख पर नहीं लिया जा सकता।***

11. ***यद्यपि लिखित बयान फाइल करने की 120 दिनों की समयसीमा पूर्णतः अनिवार्य है, तथापि दोषों की निवारण को अध्याय IV नियम 3 के अंतर्गत अनुमत समग्र 30 दिनों की अवधि में देखा जाना चाहिए।*** *वर्तमान मामले में प्रथम फाइलिंग 15 जनवरी 2019 को, द्वितीय फाइलिंग 25 जनवरी 2019 को तथा अंतिम फाइलिंग 15 फरवरी 2019 को हुई। 120 दिनों की अवधि केवल 22 जनवरी 2019 को समाप्त हुई, अतः लिखित बयान 120 दिनों की अवधि के भीतर फाइल किया गया।* ***रजिस्ट्री द्वारा इंगित दोष अर्थात् स्वीकृति/अस्वीकृति का शपथपत्र फाइल न करना, अध्याय IV नियम 3 के व्यापक ढाँचे के अंतर्गत, अर्थात् लिखित बयान की प्रारंभिक फाइलिंग से 30 दिनों के भीतर, दूर कर दिया गया।***

xxx xxx xxx

[3] 2019 SCC OnLine Del 9633

*14. <u>इन समग्र परिस्थितियों में, इस न्यायालय का मत है कि लिखित बयान स्वीकृति/अस्वीकृति के शपथपत्र सहित अभिलेख पर लिया जाना अपेक्षित है, क्योंकि फाइलिंग, पुनः फाइलिंग आदि प्रक्रियात्मक विषय हैं जिन्हें उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री अपनाती है। यदि समयसीमाओं का व्यापक रूप से पालन किया गया है, तो न्यायालय किसी पक्षकार का प्रतिरक्षण निरस्त नहीं करेगा</u>, विशेषकर ऐसे वाद में जहाँ इतनी बड़ी राशि की वसूली की माँग की जा रही हो। <u>**हाल ही में रॉबिन थापा बनाम रोहित डोरा [सिविल अपील सं. 4507/2019, निर्णय दिनांक 8 जुलाई 2019]** में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि न्यायालय का प्रयास विवादों का निपटारा गुण-दोष पर करना होना चाहिए, न कि पक्षकारों की त्रुटियों पर। प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार है :</u>*

> *"8. सामान्यतः, वाद का आधार पक्षकारों की दलीलों के गुण-दोष पर निर्णय होता है। वाद का समापन केवल वादी अथवा प्रतिवादी की त्रुटि के कारण नहीं होना चाहिए। न्याय के उद्देश्य की यह माँग है कि यथासंभव निर्णय गुण-दोष पर ही किया जाए।*

xxx xxx xxx"

(जोर दिया गया)

21. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि यदि प्रतिवाद या लिखित बयान निर्धारित अधिकतम समयसीमा के भीतर फाइल किया जाता है, तो विलंब क्षमा करने हेतु आवेदन फाइल न करना मात्र एक प्रक्रियात्मक दोष है, जिसे एक बार में 7 दिनों से अधिक नहीं और कुल मिलाकर 30 दिनों की अवधि में दूर किया जा सकता है। वर्तमान मामले में प्रतिवाद अनुमेय अधिकतम समय सीमा के भीतर फाइल किए गए थे, जबकि विलंब क्षमा करने का आवेदन दोष की सूचना मिलने के 7 दिनों के भीतर फाइल किया गया। इस प्रकार वादीगण ने अध्याय IV नियम 3, दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए दोषों की निवारण की। प्रतिवाद फाइल करने में विलंब क्षमा करने हेतु आवेदन फाइल न करना, एक

प्रक्रियात्मक दोष है जिसे दूर किया जा सकता है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई प्रतिवादों को अभिलेख से हटाने की दलील स्वीकार्य नहीं है।

22. जब तक प्रतिवाद अनुमेय अधिकतम समयसीमा 45 दिनों के भीतर फाइल किया गया है और तत्पश्चात रजिस्ट्री द्वारा इंगित दोषों को कुल 30 दिनों की अवधि में दूर कर दिया गया है, तब तक उसे अभिलेख पर लिया जाना अनुमेय होगा।

23. अतः वादीगण द्वारा प्रतिवाद फाइल करने में विलंब क्षमा करने हेतु फाइल किए गए आवेदन विधिसम्मत हैं और उक्त आवेदन इस न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं।

24. यदि प्रतिवादीगण की यह दलील स्वीकार भी कर ली जाए कि 15 मार्च 2024 को फाइल किए गए प्रतिवाद विधिसम्मत नहीं थे क्योंकि वे सत्यापित एवं नोटरीकृत शपथपत्रों के साथ संलग्न नहीं थे, तब भी यह निर्विवाद है कि प्रतिवाद 19 मार्च 2024 को दोषों की निवारण के पश्चात फाइल किए गए। उक्त फाइलिंग भी 45 दिनों की अधिकतम समयसीमा के भीतर है, जिसमें चार दिनों का विलंब हुआ।

25. प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे स्पष्टतः भिन्न हैं और वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर लागू नहीं होते।

25.1 ***राम सरूप लुगनाई एवं अन्य बनाम निर्मल लुगानी एवं अन्य***[4] का मामला स्पष्टतः भिन्न है और वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता। उक्त मामले में प्रतिवाद 45 दिनों की अधिकतम समयसीमा के भीतर फाइल नहीं किया गया था। अतः यह कहा गया कि वादी द्वारा अधिकतम 45 दिनों की अवधि समाप्त कर लेने के पश्चात न्यायालय प्रतिवाद को अभिलेख पर लेने की अनुमति नहीं दे सकता। किन्तु वर्तमान मामले में प्रतिवाद 45 दिनों की अधिकतम समयसीमा के भीतर फाइल किया गया है।

25.2 इसी प्रकार ***फ्रेंड्स मोटेल प्रा. लि. बनाम श्रीवेद कंसल्टेंसी एलएलपी एवं अन्य***[5] का मामला उन तथ्यों से संबंधित था, जहाँ लिखित बयान वाद में समन प्राप्त होने के 117वें दिन फाइल किया गया था। विलंब क्षमा करने का आवेदन एक माह से अधिक बाद, 28 अगस्त 2019 को फाइल किया गया। तत्पश्चात उक्त आवेदन पर आपत्तियाँ फाइलिंग के अगले ही दिन, अर्थात् 29 अगस्त 2019 को उठाई गईं। तथापि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने न तो आवेदन रजिस्ट्री से वापस लिया और न ही चार माह से अधिक समय तक आपत्तियों को दूर किया। अतः न्यायालय ने यह माना कि उक्त मामले में प्रश्न यह था कि लिखित बयान फाइल करने की 120 दिनों की अधिकतम समयसीमा की विधिक अनिवार्यता को, विलंब क्षमा करने का आवेदन फाइल करने में विलंब कर तथा उसका अनुपालन न कर, निरर्थक किया जा सकता है या नहीं। अतः

---

[4] 2020 SCC OnLine Del 1353
[5] 2020 SCC OnLine Del 2072

न्यायालय ने यह माना कि उक्त आचरण स्वीकार्य नहीं है और लिखित बयान को अभिलेख पर नहीं लिया।

उपर्युक्त उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता और भिन्न है। वर्तमान मामले में वादीगण ने ने ऐसा कोई इरादा नहीं दिखाया है कि वे कानून के उस नियम को नज़रअंदाज़ करना चाहते हैं, जिसके अनुसार प्रतिलिपि अधिकतम 45 दिनों के भीतर फाइल करनी होती है। जैसे ही प्रतिवादों के समयोपरांत फाइल किए जाने का दोष वादीगण के अधिवक्ता को सूचित किया गया, उक्त दोष को अध्याय IV नियम 3, दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के अंतर्गत अनुमेय समय सीमा में, विलंब क्षमा करने हेतु आवेदन फाइल कर दूर कर दिया गया।

25.3 अगला निर्णय जिस पर प्रतिवादीगण ने भरोसा किया है, वह ***ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम प्लैनेटकास्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड***[6] है। उक्त मामले में विवाद, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 ("मध्यस्थता अधिनियम") की धारा 34 के अंतर्गत याचिका फाइल/पुनः फाइल करने में विलंब से संबंधित था। धारा 34 के अंतर्गत याचिका, अपीलकर्ता को अंतिम संशोधित निर्णय प्राप्त होने की तिथि से 86 दिनों के पश्चात पहली बार फाइल की गई थी। याचिका के साथ कोई मध्यस्थ निर्णय संलग्न नहीं किया गया था और इस प्रकार प्रारंभिक फाइलिंग को ही विधिसम्मत नहीं माना गया। याचिका

[6] 2023 SCC OnLine Del 8490

पुनः फाइल की गई, किन्तु पूर्व में इंगित सभी आपत्तियाँ दूर नहीं की गईं। अतः उक्त पुनः फाइलिंग भी दोषपूर्ण रही। तत्पश्चात याचिका दूसरी बार पुनः फाइल की गई। दूसरी पुनः फाइलिंग तक मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत निर्धारित वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी थी। तीसरी पुनः फाइलिंग भी की गई, जो वैधानिक अवधि की अधिकतम समयसीमा से परे थी। इन कारणों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रारंभिक याचिका में वैध याचिका के सभी आवश्यक तत्वों का अभाव था और उसे विधिसम्मत नहीं माना गया। केवल दूसरी पुनः फाइलिंग के समय एक विधिसम्मत याचिका, जो सभी अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुरूप थी, पहली बार फाइल की गई, जो कि धारा 34, मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि से परे थी।

उपर्युक्त निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता और भिन्न है। वर्तमान मामले में वादीगण ने प्रतिवादों के अंतिम संस्करण, प्रवेश-अस्वीकार के शपथपत्र तथा सत्य कथन (Statements of Truth) सहित, 19 मार्च 2024 को फाइल किए, जो प्रतिवाद फाइल करने की 45 दिनों की अधिकतम समयसीमा (29 मार्च 2024) से पहले था। इसके अतिरिक्त, दोषों को उसी दिन दूर कर दिया गया जब वे 19 मार्च 2024 को सूचित किए गए। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रतिवाद समयोपरांत फाइल किए जाने का दोष पहली बार रजिस्ट्री द्वारा 27 मार्च 2024 को सूचित किया गया था। उक्त प्रक्रियात्मक

दोष वादीगण द्वारा अध्याय IV नियम 3, दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में दूर कर दिया गया।

25.4 प्रतिवादीगण ने ***एटलांटेक ऑनलाइन सर्विसेज प्रा. लि. एवं अन्य बनाम गूगल इंडिया प्रा. लि. एवं अन्य***[7] के निर्णय पर भी भरोसा किया है, जो वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता, क्योंकि उक्त मामले में वादीगण ने प्रतिवाद फाइल करने में 90 दिनों तथा पुनः फाइल करने में 97 दिनों का विलंब क्षमा करने का आवेदन किया था। अतः उक्त मामले में प्रतिवाद स्वयं ही 45 दिनों की अधिकतम समयसीमा से परे फाइल किया गया था, जबकि वर्तमान मामले में प्रतिवाद निर्विवाद रूप से 45 दिनों की अधिकतम समयसीमा के भीतर फाइल किया गया है।

25.5 प्रतिवादीगण ने ***विधि इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग कंपनी बनाम सी एंड एस इलेक्ट्रिक लिमिटेड एवं अन्य***[8] के निर्णय पर भी भरोसा किया है। उक्त मामले में लिखित बयान 25 फरवरी 2020 को फाइल किया गया था और उसके फाइल करने में विलंब क्षमा करने का आवेदन उस मामले में निर्णय पारित होने की तिथि 4 मई 2022 तक फाइल नहीं किया गया था। अतः लिखित बयान दो वर्षों से अधिक समय तक आपत्तियों के अधीन पड़ा रहा और न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा फाइल अपील को निरस्त कर दिया तथा लिखित बयान को अभिलेख पर नहीं लिया। किन्तु उक्त मामला स्पष्टतः भिन्न है और

[7] 2023 SCC OnLine Del 5476
[8] 2022 SCC OnLine Del 1429

वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर लागू नहीं होता। वर्तमान मामले में प्रतिवाद समयोपरांत फाइल किए जाने का दोष, वादीगण द्वारा विलंब क्षमा करने का आवेदन फाइल कर, दोष की सूचना मिलने के 7 दिनों के भीतर दूर कर दिया गया।

26. अतः उपर्युक्त विस्तृत चर्चा के आलोक में यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादों के अंतिम संस्करण 19 मार्च 2024 को फाइल किए गए, जो प्रतिवाद फाइल करने की 45 दिनों की अधिकतम समयसीमा के भीतर थे। प्रतिवाद फाइल करने में विलंब क्षमा करने के आवेदन, दोष की सूचना मिलने की तिथि से 30 दिनों की समग्र अवधि में से निर्धारित 7 दिनों के भीतर फाइल किए गए, जैसा कि अध्याय IV नियम 3, दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमावली, 2018 के अंतर्गत अनुमेय है।

27. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दलीलों तथा वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वादीगण द्वारा प्रतिवाद फाइल करने में हुआ विलंब क्षमा किया जाता है। तदनुसार, वादीगण द्वारा फाइल *अं.आ.सं. 7655/2024* एवं *अं.आ.सं. 7656/2024*, जो प्रतिवाद फाइल करने में विलंब क्षमा करने हेतु फाइल किए गए थे, स्वीकृत किए जाते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा फाइल *अं.आ.सं. 32131/2024* एवं *अं.आ.सं. 32934/2024*, जो प्रतिवादों को अभिलेख से हटाने हेतु फाइल किए गए थे, खारिज किए जाते हैं।

28. आवेदन *अं.आ.सं. 7655/2024*, *अं.आ.सं. 7656/2024*, *अं.आ.सं. 32131/2024* एवं *अं.आ.सं. 32934/2024* उपर्युक्त शर्तों के अनुसार निस्तारित किए जाते हैं।

(मिनी पुष्करणा)
न्यायाधीश

20 जनवरी 2025
एके/एयू

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*